राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
*****

क्रमांकः प. 3(4)नविवि/II/2021 जयपुर, दिनांकः 08 MAR 2022

संशोधित–आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांकः 02.03.2022 द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता हैं :-

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर नियोजन सेवा के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक श्री चन्द्रशेखर पाराशर को **" प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** की सफल क्रियान्विती एवं अन्य कार्यों को सम्पादित करने हेतु, जयपुर नगर निगम हैरिटेज में कॉर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया था।

उक्त आदेश के संदर्भ में **" प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** के स्थान पर **" प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021(केवल हैरिटेज संबधित) "** पढा जावें। तथा

" **श्री पाराशर को पूर्व में जारी आदेश दिनाँकः 24.11.2021** में संशोधन करते हुए समेकित मानदेय, वाहन एवं अन्य सुविधा दिनांक 01.10.2021 से अग्रिम आदेश तक जयपुर नगर निगम हैरिटेज द्वारा वहन किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के संदर्भ में **श्री पाराशर को पूर्व में जारी आदेश दिनाँकः 24.11.2021** के स्थान पर **श्री पाराशर को पूर्व में जारी आदेश दिनाँकः 24.09.2021** पढ़ा जावें।

शेष यथावत् रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०/–

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड/ई–मेल करावें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

8/3/2022

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

D ...UDH Transfer Posting order